राजस्व लोक ... न्याय आपके द्वार–2010

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम राजारेड़ा

राजेन्द्र सिंह बनाम चन्द्रावली

किस्म मुकदमा दावा नं. 44/2016 सन्

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
| --- | --- | --- |
| 15/3/18 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप. प्रा. पत्र 02 R 2 CPC, 09 R 9 CPC, 07 R 11 CPC सपठित धारा 151 CPC पर निर्णय हेतु पत्रावली का अवलोकन किया तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा यह कथन किया है कि वादी राजेन्द्र द्वारा एक वाद सं 72/99 राजेन्द्र बनाम गुलाबसिंह वगैरा बाबत स्वत्वघोषणा इसी न्यायालय में की। इस वाद की विवादित आराजीयात एवं Cause of Action के साथ पूर्व में पेश किया था। यह दावा दिनांक 26/7/1997 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था, जिसे दिनांक 01-7-1999 को पुनः 200/- रु. Cost पर Restore कर नम्बर पर लिया गया था। बाद में दिनांक 22-9-2005 को इस वाद को पुनः अदम हाजरी अदम पैरवी वादी में खारिज किया गया। जिसे पुनः नम्बर लिये जाने की कार्यवाही किये बिना, यह नया दावा पुनः उसी विवादित आराजी एवं उसी वादकारण के साथ न्यायालय में पेश किया गया है जो न्यायालय को गुमराह करके, बिना न्यायालय की प्रक्रिया के प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है तथा 07 R 11 CPC के तहत खारिज योग्य है इसलिए खारिज किया जावे। जवाब प्रा. पत्र में प्रार्थना पत्र के कथनों से इन्कार करते हुए कथन किया है कि न्याय की भावना से दावा चलाया जा सकता है तथा गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिये। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।<br>हमने बहस वकील उभय पक्ष सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथन कथनों को दोहराया तथा दावा को न्यायालय की प्रक्रिया से बाहर होना बताते हुए मय ईर्जे के | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी |
|---|---|---|
| | के खारिज दावा खारिज करने हेतु निवेदन किया अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा RRT 2011-12 (Sup) पृष्ठ 489, RRD 1993 पृष्ठ 575, DHJ 2017 Raj HC पृष्ठ 1054 एवं AIR 2017 पृष्ठ 83 की कानूनी नजीरें पेश की। वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में अपने जवाब के कथनों को दोहराते हुए प्रा. पत्र 07 R11 CPC खारिज करने बाबत निवेदन किया तथा कथन के समर्थन में AIR 2017 पृष्ठ 2407, AIR 2011 पृष्ठ-9 AIR 2003 (राज.) पृष्ठ 398 की कानूनी नजीरें पेश की।<br><br>हमने उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य बाद अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दावा, आईपीसी 72/99 राजेन्द्र बनाम मुलायम सिंह के दावा की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूर्व में भी इस वाद की आराजी एवं वादकारण के साथ इसी न्यायालय में वाद चला है जो दिनांक 26/7/1997 को अदम पैरवी में खारिज हुआ है तथा दिनांक 01-7-1999 को पुनः नम्बर पर आकर दिनांक 22/9/2005 को पुनः अदम पैरवी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है। जिसे पुनः नम्बर पर लाये बिना यह नया वाद इसी न्यायालय में पेश किया गया है जो विधि विरुद्ध है तथा न्यायालय की प्रक्रिया के विपरीत है। हम वकील प्रार्थी के तर्कों से सहमत हैं तथा RRT 2011-12 पृष्ठ 489 की कानूनी नजीर यहाँ चस्पा होती है कि यदि दावा O 9 R-8 CPC में खारिज होता है तो उसी वाद के सम्बन्ध में दूसरा दावा नहीं किया जा सकता है। वकील की गलती बताकर अपनी जिम्मेदारी से वादी नहीं बच सकता है। उपरोक्त तर्कों एवं विवेचन से हम पूर्णतया सहमत हैं तथा इस दावा को विधि विरुद्ध पाते हैं।<br><br>अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC स्वीकार किया जाता है तथा दावा वादी इसी | |